

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 466/2025

मांगी लाल पुत्र मनफूल राम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़

बनाम

-वादी

1. नानू देवी पत्नी मनफूल राम जाति जाट नि. धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. भीमसैन पुत्र मनफूल राम जाति जाट नि. धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिंह सूच वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री संजय सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि एक 18 एमजेडी के खाता संख्या 129/16 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे मृतक मनफूलराम पुत्र रेडाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी मांगीलाल को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर मृतक मनफूलराम पुत्र रेडाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.10.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया